

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:- जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-आरसीटी / 69 / 2017
आर.टी.कं.-54 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.।अभियोगी
विरुद्ध
1.ब्रजभान सिंह यादव पुत्र हनुमत सिंह यादव निवासी अरौन चंदेरी। 2.गजराज पुत्र श्रीराम यादव निवासी शंकरपुर थाना चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियुक्तगण।

-:: उपार्पण ::-
(आज दिनांक 02.03.2017 को घोषित)

01. आरक्षी केन्द्र चंदेरी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 376''डी'', 450 के दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु पेश किया गया।
02. यह कि अभियोग पत्र में उल्लेखित धारा 376''डी'' एवं 450 भा.द.वि. का विचारण का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर को प्राप्त होने के कारण उक्त प्रकरण धारा 201 द.प्र.सं. के अंतर्गत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की ओर उपार्पित किया जाता है।
03. प्रकरण में जप्तशुदा प्लास्टिक एवं कांच की टूटी चूड़ी के टुकड़े, शीलबंद पोटली में फरियादी कमला का पेटीकोट, शीलबंद पैकेट में फरियादी कमला की स्लाईड, शीलबंद पैकेट में फरियादी कमला के प्यूविक हेयर, शीलबंद पैकेट में आरोपी गजराज सिंह यादव की सीमन स्लाईड, शीलबंद पैकेट में आरोपी गजराज की चड़्डी है, जिसके संबंध में आरक्षी केन्द्र चंदेरी को निर्देशित किया गया है कि वह जांच रिपोर्ट सीधे विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।
04. प्रकरण में आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि

वह आगामी कार्यवाही हेतु आरोपीगण को दिनांक 15.03.17 को प्रातः ठीक 11.00 बजे माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगावली के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित करावे।

05. प्रकरण के उपार्पण की सूचना सहायक लोक अभियोजक, चंदेरी की ओर प्रेषित की जावे। निष्पादन लिपिक प्रकरण को व्यवस्थित कर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की ओर प्रेषित करें।

आदेश पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)